



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2014—पौष 25, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

वर्ष 2014-15 के लिये भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री के लायसेंसों के नीलामी की व्यवस्था

ग्वालियर, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्रमांक 7-ठेका/भांग/2014-15/15 सर्वसाधारण की जानकारी एवं भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित परिशिष्ट-एक में वर्णित स्थलों पर यथास्थिति राज्य के 42 जिलों में भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस पृथक—पृथक तथा/अथवा समूह में दिनांक 1 अप्रैल 2014 से दिनांक 31 मार्च 2015 तक की अवधि अर्थात् वर्ष 2014-15 के लिए, दिनांक 04 फरवरी 2014, दिन मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे से बोली/टेप्डर के माध्यम से नीलाम किए जायेंगे। जो व्यक्ति भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों की नीलाम में भाग लेना चाहें, वे निम्नांकित परिशिष्ट-एक में दर्शाए गये अनुसार, संबंधित नीलाम केन्द्रों (स्थल) पर नियत नीलाम तिथि एवं समय पर उपरिथित होकर नियमानुसार बोली/टेप्डर दे सकते हैं। सम्बन्धित भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह, उनके आरक्षित मूल्य, देय अर्नेस्टमनी तथा वर्ष 2012-13 में तथा वर्ष 2013-14 के प्रथम नौ माह में दुकानवार भांग की खपत आदि की जानकारी (सेल पेपर), सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर, अन्य किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन नीलाम के समय, नीलाम स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे। यदि किसी कारणवश, उपरोक्त दिनांक 04 फरवरी, 2014 दिन मंगलवार को नीलाम की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर नीलाम की कार्यवाही की जा सकेगी।

नोट:-नीलाम से तात्पर्य बोली/टेप्डर के माध्यम से लायसेंसों के निशाकरण की प्रक्रिया से है।

नीलाम की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन

1. नीलाम स्थल से प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क :-

नीलाम स्थल में बोली/टेण्डर देने के लिए वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जो नीलाम में भाग लेने के पात्र होंगे तथा जिन बोलीदारों द्वारा निम्नलिखित शर्त क्रमांक 2, 3, 4, 5 एवं 6 का पालन कर लिया गया हो। नीलाम स्थल पर बोली/टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) प्रवेश शुल्क, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत एम.पी.टी.सी-6 रसीद एवं दो क्रमांकित प्रवेश-पत्र दिये जायेंगे। एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए तथा एक उसके सहयोगी के लिए। बोली/टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले क्रमांकित लाल प्रवेश-पत्र पर नीलाम का वर्ष, बोलीदार/टेण्डरदाता का नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क का विवरण अंकित होगा। सहयोगी को दिये जाने वाले क्रमांकित सफेद प्रवेश-पत्र पर, नीलाम का वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा। प्रवेश-पत्र पर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित एवं अधिकृत किये गये अधीनस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी। प्रवेशित व्यक्ति, प्रवेश-पत्र को अपने सीने में बांई ओर लगायेगा तथा नीलाम स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली-भांति लगाए रखेगा।

2. व्यक्ति जो नीलाम में भाग लेने से वर्जित होंगे :-

नीलाम में ऐसे व्यक्ति ही बोली लगा सकेंगे/टेण्डर दे सकेंगे, जो भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली देने/टेण्डर प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य रहेंगे :-

2.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

2.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।

2.3 भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2013-14 की अवधि का लायसेंसी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2013-14 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न चुकायी गयी हो।

2.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, कलेक्टर (नीलाम करने वाले अधिकारी) के मत में संतोषजनक न रहा हो।

2.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

2.6 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में कलेक्टर (नीलामकर्ता अधिकारी) को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

2.7 कोई भी व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्कन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज अधिनियम, 1985 तथा/अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिये किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

टिप्पणी :- (1) बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, कंडिका 2.2 एवं 2.3 में उल्लेखित शर्त, कलेक्टर (नीलामकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

(2) काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 2.5 की शर्त कलेक्टर (नीलामकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

3. सहमति करार-पत्र प्रस्तुत किया जाना:-

प्रत्येक बोलीदार/टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होगे कि वह नीलामी की प्रक्रिया में नीलाम/टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को रखेच्छा से स्वीकार करता है। तदनुसार वह अपने उस राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान व उसमें संधारित अपने बचत/चालू बैंक खाते के क्रमांक के साथ-साथ रवयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित

अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किये गये फोटो सहित, प्रमाण स्वरूप सहमति करार में हस्ताक्षर कर संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के
नीलाम में बोली/टेप्डर देने के पूर्व, बोली देने/टेप्डर प्रस्तुत करने की
शर्तों को सन्ध्य करने का सहमति-करार

राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा
आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के
सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी
अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये
गये विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा
प्रमाणित फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं (बोलीदार/टेप्डरदाता का नाम) पिता/पति श्री..... निवासी..... धर्म का स्थान
..... आयु (वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि
1. मेरे राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत/चालू खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता है।
2. मेरा स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके कोई भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का
स्थाई आयकर लेखा (PAN) क्रमांक है।
3. मैंने भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसों के वर्ष 2014-15 के
लिए नीलाम की शर्तें पढ़, सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं नीलाम की शर्तें
प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ।
4. मैंने अर्नेस्टमनी जमा का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।
5. मैं अपनी बोली/टेप्डर में अंकित ऑफर से विचलित होने की दशा में अपने द्वारा निषेप किये गये
अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूँ तथा स्वयं
को आबद्ध करता/करती हूँ कि पुनः नीलाम की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे
के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

टीप :—

(1) प्रत्येक भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के समूह
के बोलीदार (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बचत/चालू बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता
लेखा (PAN) क्रमांक, सहमति करार-पत्र में अंकित कर उपरोक्त सहमति करार-पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर
प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) बोलीदार/टेप्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर
अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार-पत्र की पूर्ति कर, हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री/श्रीमती..... को उपरोक्त भांग, भांग घोटा
तथा भांग मिठाई लायसेंस/लायसेंसों के समूहों के उल्लेखित नीलाम में उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित
उक्त सहमति करार के आधार पर, समिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक

जिला

4. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना :

,प्रत्येक भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के
बोलीदार/टेप्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत
करना भी अनिवार्य होगा।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)..... (पिता/पति का नाम).....
..... निवासी (पता).....

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता / करती हूं कि :—

- (1) मैं खयं (फर्म / कम्पनी का नाम).....
की ओर से अधिकार—पत्र ग्रहीता हूं।
 - (2) मैं खयं अथवा फर्म / कम्पनी की दशा में सभी भागीदार / संचालक भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायरेंस के वर्ष 2014–15 के लिये उल्लेखित नीलाम में बोली / टेण्डर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/ हैं।
 - (3) मेरे द्वारा सहमति करार—पत्र, वांछित सहपत्रों सहित प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है।
 - (4) मेरे द्वारा जिला की भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के नीलाम हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि कुल रूपये निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है :—
- | | |
|--|------------|
| (I) नगद राशि | रूपये..... |
| एम.पी.टी.सी.—6 रसीद क्रमांक..... दिनांक | |
| (II) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / बैंक कैश आर्डर | रूपये..... |
- योग:- रूपये.....

- (5) यह कि मैंने, बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / बैंक के कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।
- (6) यह कि भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह का नीलाम मेरे (फर्म / कम्पनी की दशा में सभी भागीदार / संचालक) नाम से खीकृत होने की दशा में अग्रिम धन (1/6 भाग) तथा प्रतिभूति (1/12 भाग) राशि, विनिर्दिष्ट समय में जमा करने के लिये आबद्ध रहूंगा / रहेंगी।
- (7) यह कि भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान / दुकानों के समूह के लायरेंस के नीलाम में बोली / टेण्डर देने के लिए, मेरे द्वारा नीलामकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार—पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य / विवरण / बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर, नीलामकर्ता अधिकारी कलेक्टर को, बोली / टेण्डर ऑफर तथा लायरेंस निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्टमनी / अग्रिम धन / प्रतिभूति की राशि को जब्त / राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

रस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक / / 2014

सत्यापन लेख

मैं, (नाम)..... (पिता / पति का नाम)
श्री..... शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूं कि
इस शपथ—पत्र के चरण (1) से चरण (7) तक मैं वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

रस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक / / 2014.

5. बोलीदार / टेण्डरदाता की पहचान एवं उसके निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :—
भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नीलाम हेतु इच्छुक प्रत्येक बोलीदार / टेण्डरदाता को उसकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास रस्ताक्षर के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा आयकर अधिकारी अथवा नोटरी अथवा केन्द्रीय / राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित की गयी प्रति “मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है” अंकित कर अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगी :—

5.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :-

1. पासपोर्ट
2. रथायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड।
3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)।
4. ड्रायविंग लायर्सेस।
5. फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा की अद्यतन पासबुक।

5.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :-

1. अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
2. अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
3. अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. रि-फिलिंग की रसीद।
4. अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
5. किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
6. स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र।
7. फोटोयुक्त बैंक बचत/चालू लेखा की अद्यतन पासबुक।

6. किसी पंजीयन फर्म या कम्पनी की ओर से बोली लगाने के पूर्व बोलीदार/टेप्चरदाता को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:-

- (i) संबंधित फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र/निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार, फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एल्स्ट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची।
- (iv) संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल की ओर से नीलाम में भाग लेने के आशय के resolution के साथ बोलीदार के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति।

7. जिला शाजापुर की भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों को जिला शाजापुर एवं नवीन जिला आगर (मालवा) में नीलाम किया जाना:-

वर्ष 2013–14 में जिला शाजापुर में भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की जो दुकानें संचालित थीं, उन्हें वर्ष 2014–15 में जिला शाजापुर में तथा जिला शाजापुर को तोड़कर बनाये गये नवीन जिला आगर (मालवा) में उनकी भौगोलिक स्थिति अनुसार, नीलाम किया जायेगा।

7.1 तदनुसार वर्ष 2014–15 के लिये भांग दुकान (1) शाजापुर, (2) शुजालपुर मण्डी एवं (3) कालापीपल तथा भांगघोटा दुकान (1) शाजापुर व (2) शुजालपुर मण्डी को जिला शाजापुर में नीलाम किया जायेगा।

7.2 भांग दुकान (1) आगर एवं (2) सुसनेर को जिला आगर-मालवा में नीलाम किया जायेगा।

8. भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों को बन्द किया जाना।

वर्ष 2014–15 के लिये जिला रायसेन की भांग दुकान रायसेन, जिला सीहोर की भांग दुकान सीहोर एवं भांगघोटा दुकान सीहोर तथा जिला राजगढ़ की भांग दुकान सारंगपुर, पचोर एवं कुरावर तथा भांगघोटा दुकान सारंगपुर व पचोर को बन्द किया जायेगा।

9. भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का स्थान परिवर्तन कर नीलाम किया जाना।

वर्ष 2014–15 में भोपाल जिले की भांग दुकान मंगलवारा को मिसरोद रोड, भांग दुकान शाहजहांबाद को निशातपुरा चौराहा तथा भांग दुकान टी.टी.नगर को कोलार रोड पर स्थान परिवर्तित कर नीलाम किया जायेगा। इन नवीन रथलों पर नीलाम की जाने वाली भांग दुकानों का आरक्षित मूल्य उनकी पूर्ववर्ती भांग दुकान क्रमशः भांग दुकान मंगलवारा, भांग दुकान शाहजहांबाद व भांग दुकान टी.टी. नगर के वर्ष 2013–14 की वार्षिक लायर्सेस फीस में 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा।

10. आरक्षित मूल्य :-

वर्ष 2014–15 के लिये भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायर्सेस/लायर्सेसों के नीलाम हेतु, संबंधित दुकान/दुकानों के समूह की वर्ष 2013–14 की वार्षिक लायर्सेस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाकर, वर्ष 2014–15 के लिये आरक्षित मूल्य घोषित किया जायेगा। (वर्ष 2013–14 में एक से अधिक बार नीलामी की स्थिति में आनुपातिक रूप से परिगणना करने पर सम्पूर्ण वर्ष 2013–14 के लिये जो सर्वाधिक मूल्य आयेगा, उसके अनुसार ही वर्ष

2013–14 की वार्षिक लायसेंस फीस की गणना की जायेगी।)

11. अर्नेस्टमनी जमा करना :-

प्रत्येक बोलीदार/टेण्डरदाता को बोली लगाने/टेण्डर देने के पूर्व संबंधित भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के लिए वर्ष 2014–15 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर, अर्नेस्टमनी नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रथानीय शाखा पर देय बैंक छापट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। कलेक्टर द्वारा प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत पुष्टि/संतुष्टि कर लेने के उपरान्त ही बोली ली जावेगी। इस प्रकार जमा की गयी अर्नेस्टमनी के विरुद्ध बोलीदार, 12 गुना राशि की सीमा तक संबंधित भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु बोली दे सकेंगे। इससे अधिक बोली दिये जाने के पूर्व, उसे अतिरिक्त राशि अर्नेस्टमनी पेटे जमा कराना होगी। जिससे दी गयी बोली की तुलना में, कम से कम 1/12 भाग अर्नेस्टमनी जमा रहे। सफल बोलीदार द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक 13 में उल्लिखित अनुसार अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा अवशेष राशि (यदि कोई हो) वापिस की जावेगी। असफल बोलीदार को जमा अर्नेस्टमनी की पूरी राशि वापिस की जायेगी। असफल बोलीदार को जमा अर्नेस्टमनी की राशि वापिस प्राप्त करने के लिए, रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती देना होगी।

12. नीलामी/टेण्डर की प्रक्रिया :-

वर्ष 2014–15 के लिये भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस/लायसेंसों के नीलाम में बोली/टेण्डर के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

12.1 नीलाम की कार्यवाही निर्धारित परिशिष्ट—एक में वर्णित नीलाम केन्द्रों (स्थलों) पर नीलाम की शर्तों के वाचन के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्राप्त की जायेगी।

12.2 नीलाम की शर्तों के वाचन के पश्चात वर्ष 2014–15 के लिये भांग, भांग—घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का नीलाम पृथक—पृथक बोली आमंत्रित कर किया जायेगा। पृथक—पृथक नीलाम न होने पर राजस्व हित में इन भांग, भांग—घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का समूह में नीलाम का प्रयास किया जायेगा। राजस्व के हित में इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा। समूह इस प्रकार बनाये जायेंगे, जिससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

उपरोक्तानुसार बोली प्राप्त करने के पश्चात, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि प्राप्त उच्चतम बोली से अधिक राशि की बोली प्राप्त होने की संभावना नहीं है और प्राप्त बोली घोषित आरक्षित मूल्य से अधिक राशि की है, तो नीलामकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर उचित समझने पर नीलाम अंतिम कर सकेंगे।

12.3 यदि उपरोक्त कंडिका 12.2 अनुसार प्राप्त बोली, घोषित आरक्षित मूल्य से कम राशि की है, तब प्राप्त बोली को उसी रेटेस पर स्थगित कर, उपरिथत इच्छुक बोलीदारों/टेण्डरदाताओं से पंडाल में घोषणा द्वारा निश्चित किये गये समय पर, सीलबंद टेण्डर प्राप्त किये जायेंगे। निश्चित किये गये समय तक प्राप्त, सभी टेण्डरों को खोलकर टेण्डरदाता/टेण्डरदाताओं के टेण्डर देने हेतु पात्र पाये जाने पर, टेण्डर में प्राप्त ऑफर एवं पूर्व में प्राप्त बोली दोनों का ही तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जायेगा।

नीलामकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि टेण्डर की कार्यवाही में प्राप्त उच्चतम टेण्डर ऑफर, सम्बन्धित भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि का होगा, उसे उचित समझने पर वे उसे स्वीकार कर नीलाम अन्तिम कर सकेंगे।

आरक्षित मूल्य से कम राशि की प्राप्त बोली/टेण्डर ऑफर की स्वीकृति के संबंध में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश से निर्देश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, नीलाम की यह कार्यवाही उसी रेटेस पर आगामी दिवस के लिये स्थगित रहेगी। इसके साथ ही बचे हुये भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की नीलामी हेतु, आगामी तिथि की घोषणा, कलेक्टर द्वारा नीलाम स्थल पर ही की जायेगी।

12.4 नीलाम की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात किसी भी बोलीदार/टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव स्वरूप अथवा बिना शर्त पुनःनीलाम के प्रावधानों को छोड़कर, न तो अभिलेखों में लिया जायेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जायेगा।

नोट—नीलामकर्ता अधिकारी से तात्पर्य सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है।

13. अग्रिम धन/प्रतिभूति जमा करना :-

- 13.1** भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2014–15 के प्रत्येक सफल बोलीदार/टेण्डरदाता को अपनी उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर का 1/6 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा। जमा की जाने वाली इस राशि के विरुद्ध बोलीदार/टेण्डरदाता के द्वारा बोली/टेण्डर ऑफर देने के पूर्व, जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी। शेष अग्रिम धन की राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/स्थानीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में नीलाम के पश्चात् तुरन्त जमा करना होगी।
- 13.2** भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के वर्ष 2014–15 के सफल बोलीदार/टेण्डरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल बोलीदार को अग्रिम धन राशि का शेष भांग, जो अर्नेस्टमनी के समायोजन उपरान्त देय होगा, को जमा करने के लिए तीन दिवस का समय दे सकेंगे। तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।
- 13.3** भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस हेतु सफल बोलीदार/टेण्डरदाता को अपनी बोली/टेण्डर ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/स्थानीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा स्थानीय शाखा पर भुगतान योग्य, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में नीलाम के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी। तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।
- 13.4** वर्ष 2014–15 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित राशि की बैंक गारंटी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में एवं रूपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी।
- 13.5** अगर कोई सफल बोलीदार/टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा ऐसी बैंक गारंटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी।
- 13.6** सफल बोलीदार/टेण्डरदाता द्वारा नीलाम की शर्तों का पालन न करने, 1/6 अग्रिम धन राशि या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की प्राप्तता नहीं होगी। 1/6 अग्रिम धन एवं 1/12 प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल बोलीदार/टेण्डरदाता द्वारा जमा अर्नेस्टमनी अथवा जमा की गयी अन्य कोई भी राशि राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंस/लायसेंसों का पुनःनीलाम किया जायेगा। इस पुनःनीलामी के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समरत हानि की वसूली, संबंधित बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जायेगी।
- 13.7** वर्ष 2014–15 के लिए भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लिए अग्रिम धन (1/6 भाग) की जमा राशि माह फरवरी एवं मार्च, 2015 की देय लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।
- 13.8** प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30.06.2015 तक की होगी। कोई भी बैंक गारंटी इससे अल्प अथवा आंशिक वैधता अवधि की स्वीकार्य नहीं होगी।
- 13.9** भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंस के लिए, प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी को लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध, जमानत के रूप में रखा जायेगा। दिनांक 30 जून 2015 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कोई शारित/संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकेगी।
- 13.10** अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व बोलीदार/टेण्डरदाता का होगा। यदि कोई सफल बोलीदार/टेण्डरदाता जमा की गई अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के रखने पर अर्नेस्टमनी/अर्नेस्टमनी की राशि कोई परिवर्तन चाहता है अर्थात् नगद राशि, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रखने पर बैंक गारंटी अथवा बैंक गारंटी के रखने पर नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर को प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिए सक्षम होंगे। परन्तु ऐसा प्रतिस्थापन

अनुमत करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल बोलीदार की निर्धारित प्रतिभूति की राशि, विभाग के पास निरन्तर जमा रहे।

13.11 बोलीदार द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जावेगी।

14. खिसारे की वसूली/अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को राजसात करना :-

भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायर्सेंस का उच्चतम बोलीदार/टेण्डरदाता, यदि बोली/टेण्डर ऑफर की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली/टेण्डर ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/टेण्डर ऑफर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे लायर्सेंस/लायर्सेंसों को पुनः नीलाम करने पर जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह सम्बन्धित उच्चतम बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जायेगी। उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, नीलाम की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 13 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन ($1/6$ भाग) तथा प्रतिभूति ($1/12$ भाग) की राशि तथा जमा की गई लायर्सेंस फीस आदि के विरुद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन ($1/6$ भाग) की राशि, प्रतिभूति की $1/12$ भाग की राशि तथा जमा की गई लायर्सेंस फीस आदि को भी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा। बोलीदार द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राप्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की गई अथवा अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा।

15. पुनःनीलाम :-

15.1 पुनःनीलाम के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायर्सेंस के वर्ष 2014-15 के नीलाम के समय, उस लायर्सेंस/लायर्सेंसों के समूह, जिसका वह पुनःनीलाम चाहता है, के नीलाम में उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायर्सेंस/लायर्सेंसों के समूह की बोली/टेण्डर ऑफर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायर्सेंस/लायर्सेंसों के समूह के लिये उसके द्वारा बोली/टेण्डर ऑफर दिया गया हो।

15.2 नीलाम किये गये भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायर्सेंस के पुनःनीलाम के लिये आवेदन-पत्र नीलाम तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे। तीन दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे। आवेदक को पुनःनीलाम के आवेदन के साथ भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायर्सेंस, जिसका वह पुनःनीलाम चाहता है, में प्राप्त उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर के $1/3$ भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके बाकी राशि) नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी।

15.3 पुनःनीलाम के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक नीलामी की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम बोली/टेण्डर ऑफर से, कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली/टेण्डर ऑफर देना चाहता हो। पुनःनीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। यदि कलेक्टर नीलाम स्थल में पुनःनीलाम की घोषणा करते हैं, तो कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे।

15.4 पुनःनीलाम होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनःनीलामी में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है/टेण्डर ऑफर नहीं देता है, तो उसके द्वारा जमा की गयी $1/3$ भाग की राशि राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनःनीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली/टेण्डर ऑफर से कम की बोली नहीं लगायेगा/टेण्डर ऑफर नहीं देगा और ऐसी बोली लागाने/टेण्डर ऑफर देने में असफल रहेगा, तो उसके द्वारा जमा की गई $1/3$ भाग की राशि या जमा अन्य कोई भी राशि जप्त/राजसात हो जायेगी। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

15.5 किसी भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायर्सेंस के पुनःनीलाम के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा।

15.6 किसी भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायर्सेंस का पुनःनीलाम होने पर भी, उसके प्रथम नीलाम के समय, जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली दी गयी हो, वह 15 दिन तक अपनी उस बोली पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा।

15.7 पुनःनीलाम की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगे।

16. वर्ष 2014–15 की अवधि में नीलाम की शर्तों का प्रभावशील रहना :-

भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के नीलाम की ये सभी शर्तें, वर्ष 2014–15 के लिए तथा वर्ष 2014–15 के दौरान होने वाले पुनः नीलाम की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी।

17. वार्षिक लायरेसेस फीस जमा करना :-

भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायरेसेस के प्रत्येक सफल बोलीदार को 31 मार्च 2014 या उसके पूर्व माह अप्रैल 2014 की लायरेसेस फीस की देय किश्त, अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त किश्त जमा होने पर ही उसे लायरेसेस जारी किया जावेगा।

17.2 भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायरेसेसी को, प्रत्येक भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की पृथक—पृथक देय वार्षिक लायरेसेस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा संबंधित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी। यदि वार्षिक लायरेसेस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो, तो भागफल की अवशेष राशि माह अप्रैल 2014 की लायरेसेस फीस में समायोजित की जायेगी।

17.3 यदि किसी भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायरेसेसी द्वारा देय मासिक लायरेसेस फीस, माह के सातवें कार्य दिवस तक जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह को भांग का प्रदाय निषेधित किया जा सकेगा अथवा फुटकर विक्रय दर पर भांग की आपूर्ति के आदेश दिये जा सकेंगे। संबंधित माह की देय लायरेसेस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में ऐसे भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह का लायरेसेस निरस्त कर, पुनः नीलाम करने की कार्यवाही संबंधित लायरेसेसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी। इस पुनःनीलामी के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वस्तु, संबंधित लायरेसेसी से भू—राजरख की बकाया की भाँति की जायेगी।

17.4 समूह में सम्मिलित किसी भांग अथवा भांग घोटा अथवा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान की देय मासिक लायरेसेस फीस अवशेष रहने की रिप्ति में, उक्त समूह की समस्त भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों की लायरेसेस फीस अवशेष मानी जायेगी।

नोट:- सफल बोलीदार का आशय ऐसे बोलीदार से है, जिसकी उच्चतम बोली/टेप्डर ऑफर को नीलामी के समय अंतिम किया गया है।

लायरेसेस/लायरेसेसों का हस्तान्तरण :-

वर्ष 2014–15 में भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायरेसेस/लायरेसेसों की अवधि के दौरान, यदि किसी लायरेसेस/लायरेसेसों का हस्तान्तरण रूपीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, लायरेसेस/लायरेसेसों की शेष अवधि की लायरेसेस फीस आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायरेसेस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायरेसेसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति, जिसके नाम लायरेसेस का हस्तान्तरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे।

19. नीलाम की कार्यवाही में न लगाई गई बोली स्वीकार न करना :-

वर्ष 2014–15 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की बोली, जिसने भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के नीलाम के समय अथवा पुनः नीलाम यदि हुआ हो, तो पुनःनीलाम के समय बोली न दी हो, विचार योग्य नहीं होगी।

20. वर्ष 2014–15 के लिए नीलाम की कार्यवाही पूर्ण करना :-

वर्ष 2014–15 के लिए नीलाम किये गये भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायरेसेस की बोली, अन्तिम होने के पश्चात यदि संबंधित बोलीदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा कलेक्टर/आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार किसी भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायरेसेस का नीलाम फिर से किया जाना आवश्यित किया गया हो और उसके लिए, यदि नीलाम के दौरान ही पुनःनीलाम की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो पुनःनीलाम की सूचना पुनःनीलाम के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए **शर्त क्रमांक 21** का पालन किया जायेगा। पुनःनीलाम की तिथि संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार यदि भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायरेसेस के किसी समूह का किसी भी कारण से नियत तिथि को नीलाम सम्पन्न/अन्तिम नहीं होता है, तो उसके नीलाम हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे। जिसकी घोषणा नीलाम स्थल में ही की जा सकती है।

21. वर्ष 2014–15 की अवधि में पुनःनीलाम करना :—

वर्ष 2014–15 के लिए अथवा वर्ष के मध्य में भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस का पुनःनीलाम करने की रिधति उत्पन्न होने पर, लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनःनीलाम किया जा सकेगा। पुनःनीलाम हेतु सूचना पत्र पुनःनीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जायेगा।

22. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :—

वर्ष 2014–15 के लिए नीलाम किये गये भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के उच्चतम बोलीदार को समर्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित दुकान का लायसेंस जारी किया जायेगा।

23. भांग की ख्यूटी दरें :—

वर्ष 2014–15 में भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की नीलाम की गयी दुकानों तथा उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनायी जाने वाली औषधियों के लिए भांग की ख्यूटी दर निम्नानुसार रहेंगी :—

क्र.	विवरण	ख्यूटी दर
1.	भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की नीलाम की गई दुकानों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर	रुपये 100/- (रुपये एक सौ) प्रति किलो ग्राम
2.	उपरोक्त से भिन्न उपयोग हेतु अर्थात् भांग मिलाकर बनाई जाने वाली औषधियों के लिए भाण्डागार से प्रदाय लेने पर	रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) प्रति किलो ग्राम

24. भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई दुकानों से विक्रय की व्यवस्था :—

24.1 भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंसी को देय ख्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध, भाण्डागार से प्रदाय की गयी भांग की सीलबन्द थैलियों से ही भांग का विक्रय करना होगा। एक थैली की भांग समाप्त होने पर ही दूसरी थैली की सील खोली जावेगी।

24.2 भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त 13 एवं एच.डी.-7 लायसेंस की शर्त 3 (डी) के अनुपालन में 100, 50, 20, 10, 5, 2 एवं 1 ग्राम के बाट तथा तराजू दुकान में रखना होगा। भांग की बिक्री हेतु उन्हें ही उपयोग करना होगा। यह बाट एवं तराजू नाप—तौल विभाग से विद्यमान वर्ष के लिए प्रमाणित होना चाहिए।

24.3 भांग के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को भांग का विक्रय सीधे क्रेता को विधिवत् तौलकर करना होगा। पुढ़िया अथवा पैकिट में पूर्व से ही पैक कर रखी हुई भांग का विक्रय नहीं किया जायेगा।

24.4 भांग के फुटकर विक्रय की दुकानों के लायसेंसियों को पिसी भांग की गोली बेचने की जो सुविधा वर्तमान वर्ष 2013–14 में प्रचलित है, वह सुविधा वर्ष 2014–15 के लिए भी यथावत् रहेगी। इस हेतु भांग ठेकेदारों को प्रपत्र एच.डी.-8 में लायसेंस प्राप्त करना होगा। जिसकी लायसेंस फीस रुपया 3/- दैनिक होगी। लायसेंसी को इस हेतु आवेदन—पत्र जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिससे उन्हें प्रपत्र एच.डी.-8 में लायसेंस देने पर विचार किया जा सके। लायसेंसी को रुपया 3/- प्रतिदिन की दर से देय समेकित लायसेंस फीस, अग्रिम जमा करानी होगी। जो संबंधित दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी।

25. उपरिलिखित शर्त क्रमांक 20 एवं 21 के अधीन पुनःनीलाम की तिथि की घोषणा, यदि नीलाम के दिन नीलाम स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनःनीलाम की सूचना जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार—पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचना—पत्र का प्रदर्शन, संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी किया जाएगा।

26. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंस/लायसेंसों के समूह की बोली के अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी नीलाम संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजरव के हित में, विहित शर्तों के अध्यधीन, उन्हें पुनःनीलाम करने के आदेश, नीलाम अन्तिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। 07 दिन की गणना करने में नीलामी की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

27. अन्य कर :-

वर्ष 2014–15 में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो लायसेंसी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

28. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस के नीलाम के संबंध में अन्य सभी प्रावधान एवं व्यवस्थाएं जिनका उल्लेख इस विज्ञाप्ति में नहीं किया गया है, वे व्यवस्थाएं वर्ष 2013–14 में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही रहेंगी।

29. जिले की भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के नीलाम द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ) पृथक् से नगद जमा करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी।

30. भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस/लायसेंसों का नीलाम, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय–समय पर संशोधित किए गए नियमों और राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेगा।

एस. के. वेद, आबकारी आयुक्त.

परिशिष्ट-एक

वर्ष 2014–15 के लिये मध्य प्रदेश में भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई की फुटकर बिक्री के लायसेंसों के नीलाम/टेंडर की कार्यवाही हेतु नियत केन्द्र (स्थल)

क्रम	जिले का नाम	निष्पादन स्थल
1	इंदौर	कलेक्टोरेट, इंदौर
2	झाबुआ	कलेक्टोरेट, झाबुआ
3	खरगोन	स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगोन
4	बड़वानी	कलेक्टोरेट, बड़वानी
5	धार	कलेक्टोरेट, धार
6	खण्डवा	आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
7	भोपाल	सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, भोपाल
8	राजगढ़	नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा)
9	विदिशा	कलेक्टोरेट, विदिशा
10	होशंगाबाद	कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
11	हरदा	कलेक्टोरेट, हरदा
12	बैतूल	जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
13	जबलपुर	कलेक्टोरेट, जबलपुर
14	सिवनी	कलेक्टोरेट, सिवनी
15	छिंदवाड़ा	कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा
16	कटनी	कलेक्टोरेट, कटनी
17	मंडला	कलेक्टोरेट, मंडला
18	नरसिंहपुर	न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर
19	ग्वालियर	कलेक्टोरेट, ग्वालियर
20	मुरैना	कलेक्टोरेट, मुरैना
21	भिण्ड	कलेक्टोरेट, भिण्ड
22	श्योपुर	जिला आबकारी कार्यालय, चम्बल कालोनी, श्योपुर
23	गुना	कलेक्टोरेट, गुना

24	अशोकनगर	कलेकटोरेट, अशोकनगर
25	शिवपुरी	न्यू कलेकटोरेट, शिवपुरी रोड, शिवपुरी
26	दतिया	संयुक्त कलेकटोरेट भवन,, दतिया
27	सागर	कलेकटोरेट, सागर
28	दमोह	कलेकटोरेट, दमोह
29	पन्ना	कलेकटोरेट, पन्ना
30	टीकमगढ़	संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय, टीकमगढ़
31	छतरपुर	कलेकटोरेट, छतरपुर
32	रीवा	सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, रीवा
33	सतना	कलेकटोरेट, सतना
34	शहडोल	संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
35	उमरिया	कलेकटोरेट, उमरिया
36	उज्जैन	कलेकटोरेट, उज्जैन
37	शाजापुर	कलेकटोरेट, शाजापुर
38	आगर (मालवा)	कलेकटोरेट, आगर (मालवा)
39	मंदसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
40	नीमच	कलेकटोरेट, नीमच
41	रतलाम	जिला आबकारी कार्यालय, रतलाम
42	देवास	सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, देवास

एस. के. वेद, आबकारी आयुक्त.